न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र संख्या : 105/2018
निर्णय दिनांक : 08.02.2024

उनवान

1. मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
2. लालाराम उर्फ लालचन्द पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
4. रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
5. रामप्रसाद पुत्र स्व श्री गोंरीलाल
6. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री गोंरीलाल
7. नन्छीलाल पुत्र स्व0 श्री नरसिंह
8. रामू पुत्र स्व0 श्री नरसिंह
9. किशोर पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
10. लालचन्द पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
11. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
12. सुरेश पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
13. रमेश पुत्र स्व0 श्री मीठालाल
14. कमलेश पुत्र स्व0 श्री मीठालाल
15. राकेश पुत्र स्व0 श्री मीठालाल
16. जगदीश पुत्र स्व0 श्री काना

समस्त जाति हरियाणा ब्रहामण निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री रामनारायण (मृतक दौराने वाद)

1/1. भौरी देवी पुत्री स्व. राधेश्याम पत्नी गौरीशंकर

2. हनुमान पुत्र स्व0 श्री रामनारायण
3. सीताराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
4. कैलाश पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
5. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
6. भगवान सहाय पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
7. शंकर पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
8. सुरज पुत्र स्व0 श्री छोटीलाल
9. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री छोटीलाल
10. राजू पुत्र स्व0 श्री छोटीलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

11. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मोहन
12. हेमराज पुत्र स्व0 श्री मोहन
13. लालचन्द पुत्र स्व0 श्री मोहन
14. ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 श्री गणेश
15. लालाराम पुत्र स्व0 श्री गणेश
16. रामू पुत्र स्व0 श्री गणेश
17. गोपाल पुत्र स्व0 श्री गणेश

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

18. श्रीमती गंगा देवी पत्नी रामनारायण शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
19. श्रीमती दीपू शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
20. श्रीमती मंजू देवी पत्नी रमेश कुमार चौहान निवासी शिव मार्ग सिविल लाईन जयपुर।
21. श्रीमती सरोज देवी पत्नी लोकेश चौहान निवासी शिव मार्ग सिविल लाईन जयपुर।
22. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी प्लाट न0 44–45 गोविन्द नगर जयपुर।
23. श्रीमती वन्दना देवी पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ए–5 हरि मार्ग शास्त्री नगर जयपुर।
24. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी दयाचन्द जाति जाट निवासी बी–7 हरि नगर शास्त्री नगर जयपुर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
26. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र [illegible]या एक में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वर्णित किया है। [illegible] व प्रतिवादी सख्या सत्तरह की संयुक्त साबिक आराजी कृषि भूमि ख[illegible] नम्बर 14 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक ल[illegible] तेरह के पूर्वाधिकारीयों का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या चौदह लगायत सत्तरह का हिस्सा 1/2 वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्व रिकार्ड मे अंकित था उक्त आराजीयात कृषि भूमि के अलावा वादीगण व प्रतिवादी सख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तेरह जो कि एक ही परिवार के सदस्य थे के नाम से अन्य कृषि भूमि ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित थी जिनका सामुहिक बंटवारा 29.04.1984 को हो चुका है तथा सभी काश्तकार बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो चुके है। साबिक खसरा नम्बर 14 से बने हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 75 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.35 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 7.21 है0 जिसका बंटवारा 29.04.1984 के अनुसार वादीगण के पूर्वाधिकारीयो का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तरह का हिस्सा 1/2 का अलग से बंटवारा किया जा चुका था। बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 62, 63, 65, 68, 71, 72 रकबा 1.41 है0 मे वादी सख्या सात लगायत पन्द्रह का हिस्सा 1/2 व वादी सख्या एक लगायत छः का हिस्सा 1/4 व वादी सख्या सोलह का हिस्सा 1/4 निर्धारित हुआ तथा खसरा 73, 75, 76 रकबा 2.71 है0 भूमि प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तह के पूर्वाधिकारी गणेश पुत्र नानगराम के हिस्से मे आयी तथा खसरा नम्बर 67, 70 रकबा 1.46 है0 भूमि वादी सख्या एक लगायत छः का हिस्सा 1/2 व वादी सख्या सोलह का हिस्सा 1/2 निर्धारित हुआ तथा खसरा नम्बर 66, 69 रकबा 1.52 है0 मे वादी सख्या सात लगायत पन्द्रह के हिस्से मे आयी व खसरा नम्बर 74 रकबा 0.01 है0 भूमि वादी सख्या सात लगायत पन्द्रह के हिस्सा मे 1/4 व वादी सख्या एक लगायत छः व वादी सख्या सोलह के पूर्वाधिकारी गुल्ला व काना पिता गणेश के हिस्सा मे 1/4 व प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तरह के पूर्वाधिकारी गणेश पुत्र नानगराम का हिस्सा 1/2 निर्धारित किया गया। इस प्रकार इस खाते की सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा किया गया तथा प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह का हिस्सा उक्त भूमि मे न रहकर अन्य भूमि मे बटवारे के अनुसार दे दी गयी। इस कारण उक्त भूमि मे केवल वादीगण व प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तरह का हिस्सा है। प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तरह के पूर्वाधिकारी गणेश पुत्र नानगराम ने एक [illegible] अधिकारी जयपुर के यहां पर प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 03[illegible]989 [illegible] हुआ जिसमे प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत [illegible] पुत्र नानगराम का हिस्सा 1/2 निर्धारित कर [illegible] प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह के पूर्वाधिकारीयो के नाम बंटवारा ह[illegible] के बावजूद वादीगण के खाते मे गलत रूप से दर्ज कर दी जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। दिनांक 29.04.1984 को वादीगण व प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कई भूमियो का बंटवारा किया जा चुका है जिसमे वादीगण के पूर्वाधिकारीयो के अन्य खातो के हिस्से की कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह के पूर्वाधिकारीयो के सहकाश्तकार के रूप मे दर्ज थी प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह के नाम से हो चुकी है तथा इसमे कई भूमियां जो वादीगण के नाम से थी जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर व रोड के लिए पीडब्लूडी विभाग द्वारा आवाप्त की जा चूकी है जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह के द्वारा उक्त बंटवारा की जो कि दिनांक 29.04.1984 मे आपसी सहमति से किया जा चुका है के द्वारा प्राप्त कर लिया है। इस कारण आपसी सहमति से किये गये बंटवारें के आधार पर पैरा नम्बर दो व तीन मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तरह है जिन्होने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सख्या अठारह लगायत चौबीस को विक्रय कर दिया है। इस कारण प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तरह को हिस्सा शेष नही रहा है। उक्त आराजीयात जिसका वर्णन वाद पत्र के पैरा नम्बर दो व तीन मे किया गया है उसमे वादी सख्या सात व आठ का हिस्सा 1/8 व वादी सख्या नो लगायात बारह का हिस्सा 1/16 व वादी सख्या तेरह लगायत पन्द्रह का हिस्सा 1/16 व वादी सख्या एक लगायत चार का हिस्सा 1/10 व वादी संख्या पाचं व छः का हिस्सा 1/40, व वादी सख्या सोलह का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने के कानून अधिकारी है। शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सख्या अठारह लगायत चौबीस का है। इसमे प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह का कोई हक व हिस्सा नही है। वादीगण ने प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह को कई बार गलत रूप से बंटवारें की उनके नाम से जो भूमि लग गई है उसको दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो उन्होने वादीगण को आश्वासन दिया कि उक्त भूमि पर आपका कब्जा है आप जब भी कहेगे हम आपके नाम लगवा देगे। क्योंकि उक्त भूमि बंटवारें के अनुसार हमारे हिस्से मे नही आयी है उक्त भूमि से हमारा कोई लेना देना नही है। परन्तु दिनांक 25.06.2018 को वादीगण ने उक्त भूमि को अपने नाम से करवाने के लिए प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह को कहा तो प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना जरूरी हुआ। वादीगण व प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह के मध्य विधिवत बटवारें के अनुसार जो भूमि जिसके बदले वादीगण की भूमि प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह के खाते मे लग गई है। इस कारण उक्त भूमि मे वादीगण 1/2 हिस्से के एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह का उक्त भूमि मे कोई लेना देना नही है। अगर प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह अपने नाजायज इरादो मे सफल हो गये तो वादीगण अपने हक हकुको की भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal
Date: 2024.02.22 17:33:11
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जायेगे। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा नम्बर दो व तीन मे वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह का नाम हजफ कर वादी सख्या सात व आठ का हिस्सा 1/8 व वादी सख्या नो लगायात बारह का हिस्सा 1/16 व वादी सख्या तेरह लगायत पन्द्रह का हिस्सा 1/16 व वादी सख्या एक लगायत चार का हिस्सा 1/10 व वादी सख्यां पाचं व छः का हिस्सा 1/40 व वादी सख्या सोलह का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावें, तथा प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर रिकॉर्ड मे दुरूरूती नही की जाती है तब तक उक्त वर्णित आराजीयात का विक्रय, इकरारनामा, रहन इत्यादि तस्दीक नही करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। प्रतिवादी सख्या पच्चीस को उक्त आराजीयात के रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने व प्रतिवादी सख्या छब्बीस को विक्रय, इकरारनामा, इत्यादि तस्दीक नही करने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या चौदह लगायत सत्तरह के पूर्वाधिकारी गणेश पुत्र नानगराम दिनांक 29.04.1984 के बंटवारे के समय सहकाश्तकार थे तथा प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत सत्तरह गणेश के वारिसान है जिनको उक्त बंटवारें के बारे मे पूर्ण जानकारी है तथा उक्त आराजीयात इनके नाम से बंटवारें के बाद आयी है जिन्होने उक्त आराजीयात को प्रतिवादी सख्या अठारह लगायत चौबीस को विक्रय किया है। इस कारण से प्रतिवादी सख्या चौदह लगायत चौबीस से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है केवल सहकाश्तकार होने के कारण पक्षकार बनाया है। वादकारण दिनांक 25.06.2018 को प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह द्वारा उक्त भूमि वादीगण के नाम से लगवाने से स्पष्ट मना करने से शुरू होकर निरन्तर जारी है। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जावें कि साबिक खसरा नम्बर 14 से बने हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.[illegible] खसरा नम्बर 71 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 75 रकबा [illegible] 30 है0, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.35 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 7.21 है0 वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह का नाम हजफ कर वादी सख्या सात व आठ का हिस्सा 1/8, वादी सख्या नो लगायात बारह का हिस्सा 1/16, वादी सख्या तेरह लगायत पन्द्रह का हिस्सा 1/16, वादी सख्या एक लगायत चार का हिस्सा 1/10, वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal S
Date: 2024.02.22 17:33:11 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सख्यां पाचं व छः का हिस्सा 1/40, वादी सख्या सोलह का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावें। शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या अठारह लगायत चौबीस का जमाबन्दी के अनुसार रखा जावे। प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर रिकार्ड मे दुरूस्ती नही की जाती है तब तक उक्त वर्णित आराजीयात का विक्रय, इकरारनामा, रहन इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति सस्था को नही करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। प्रतिवादी सख्या पच्चीस को उक्त आराजीयात के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व प्रतिवादी सख्या छब्बीस को विक्रय, इकरारनामा, रहन इत्यादि तस्दीक नही करने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 11.07.2018 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 18.09.2019 को प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 की ओर से श्री पुरूषोतम शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 05.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 की ओर जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 17.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 के अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर अंकित किया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र के अनुतोष की मद संख्या 1 में चाही गई घोषणा से प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 को कोई आपत्ति नही है। दिनांक 28.04.2022 को वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व नियम जा0दी0 पेश किया तथा प्रार्थी छोटू गुर्जर की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया। दिनांक 02.02.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये, प्रतिवादी संख्या 1/1, 2 लगायत 17 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी छोटू गुर्जर की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में कोई विरोधाभासी अभिवचन नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। प्रकरण को साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्य [illegible] वादी मूलचन्द शर्मा ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, दस्तावेजी [illegible] मे प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073, प्रदर्श–2 खसरा [illegible] प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 खतौनी बंदोबस्त 1 जुलाई 1989 से 3[illegible] जून 2009, प्रदर्श–5 नामान्तरकरण संख्या 44 प्रस्तुत किये गये। दिनांक 07.02.2024 को वादीगण की ओर से अन्य साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वादीगण के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 14 से बने हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 75 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.35 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 7.21 है0 वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह का नाम हजफ कर वादी सख्या सात व आठ का हिस्सा 1/8, वादी सख्या नो लगायात बारह का हिस्सा 1/16, वादी सख्या तेरह लगायत पन्द्रह का हिस्सा 1/16, वादी सख्या एक लगायत चार का हिस्सा 1/10, वादी सख्यां पाचं व छः का हिस्सा 1/40, वादी सख्या सोलह का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावें। शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या अठारह लगायत चौबीस का जमाबन्दी के अनुसार रखा जावे तथा प्रतिवादी सख्या एक लगायत तेरह को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर रिकार्ड मे दुरूस्ती नही की जाती है तब तक उक्त वर्णित आराजीयात का विक्रय, इकरारनामा, रहन इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति सस्था को नही करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे।

हमने बहस वादीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि वादीगण द्वारा अपने वाद के साथ खसरा प्रिशोधन (बंटवारा दिनांक 2.04.1984) प्रदर्श–2 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमि वादीगण के हिस्से में 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 17 के हिस्से में 1/2 अंकित है, राजस्व अभिलेखों में उसी अनुसार अलम दरामल किया जाना चाहिए, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का नाम गलत अंकित किया जाना स्पष्ट है, वादीगण अपने वाद पत्र के साथ मिलान क्षेत्रफल जो कि प्रदर्श–3 है जिससे वादग्रस्त भूमि के साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर [illegible] है। वादीगण ने अपने वाद में उल्लेख किया कि प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 17 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपना हिस्सा 1/2 राजस्व अभिलेखों में अंकित करवा लिया गया, तत्पश्चात अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 को विक्रय किया जा चुका है, वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है, वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal
Date: 2024.02.22 17:33:11
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

केवल मात्र सहखातेदार होने से उन्हें पक्षकार वाद बनाया गया है, प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.01.2020 की फर्द अहकाम पर वाद को डिक्री किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। खसरा प्रिशोधन (बंटवारा दिनांक 2.04.1984) को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नही दी गई है, ऐसी स्थिति में खसरा प्रिशोधन के आधार पर वादीगण वादग्रस्त आराजी भूमि में 1/2 भाग की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार सम्पूर्ण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी 1 लगायत 13 डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वादीगण को ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 75 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.35 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 7.21 है0 में वादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/8, वादी संख्या 9 लगायात 12 का हिस्सा 1/16, वादी संख्या 13 लगायत 15 का हिस्सा 1/16, वादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/10, वादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 1/40, वादी संख्या 16 का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 13 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि में वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील रिकॉर्ड जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
जयपुर (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर** मुकाम जयपुर व इजलास **महीपाल सिंह, आर.ए.एस.**

वाद पत्र संख्या : 105/2018

1. मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
2. लालाराम उर्फ लालचन्द पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
4. रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री गुल्ला
5. रामप्रसाद पुत्र स्व श्री गोंरीलाल
6. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री गोंरीलाल
7. नन्छीलाल पुत्र स्व0 श्री नरसिंह
8. रामू पुत्र स्व0 श्री नरसिंह
9. किशोर पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
10. लालचन्द पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
11. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
12. सुरेश पुत्र स्व0 श्री भौरीलाल
13. रमेश पुत्र स्व0 श्री मीठालाल
14. कमलेश पुत्र स्व0 श्री मीठालाल
15. राकेश पुत्र स्व0 श्री मीठालाल
16. जगदीश पुत्र स्व0 श्री काना

सभी समस्त जाति हरियाणा ब्रहामण निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री रामनारायण (मृतक दौराने वाद)

1/1. भौरी देवी पुत्री स्व. राधेश्याम पत्नी गौरीशंकर

2. हनुमान पुत्र स्व0 श्री रामनारायण
3. सीताराम पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
4. कैलाश पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
5. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
6. भगवान सहाय पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
7. शंकर पुत्र स्व0 श्री भोलूराम
8. सुरज पुत्र स्व0 श्री छोटीलाल
9. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री छोटीलाल
10. राजू पुत्र स्व0 श्री छोटीलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

11. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मोहन
12. हेमराज पुत्र स्व0 श्री मोहन
13. लालचन्द पुत्र स्व0 श्री मोहन
14. ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 श्री गणेश
15. लालाराम पुत्र स्व0 श्री गणेश
16. रामू पुत्र स्व0 श्री गणेश
17. गोपाल पुत्र स्व0 श्री गणेश

    समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

18. श्रीमती गंगा देवी पत्नी रामनारायण शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
19. श्रीमती दीपू शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
20. श्रीमती मंजू देवी पत्नी रमेश कुमांर चौहान निवासी शिव मार्ग सिविल लाईन जयपुर।
21. श्रीमती सरोज देवी पत्नी लोकेश चौहान निवासी शिव मार्ग सिविल लाईन जयपुर।
22. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी प्लाट न0 44–45 गोविन्द नगर जयपुर।
23. श्रीमती वन्दना देवी पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ए–5 हरि मार्ग शास्त्री नगर जयपुर।
24. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी दयाचन्द जाति जाट निवासी बी–7 हरि नगर शास्त्री नगर जयपुर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
26. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी [illegible] अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] किया जाता है कि वादीगण को ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर [illegible] जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.80 है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

06 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 75 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.35 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 7.21 है0 में वादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/8, वादी संख्या 9 लगायात 12 का हिस्सा 1/16, वादी संख्या 13 लगायत 15 का हिस्सा 1/16, वादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/10, वादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 1/40, वादी संख्या 16 का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 13 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि में वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.22 17:33:11 IST
Reason: SelfAttested

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)